न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 347/2019 (जीसीएमएस **नम्बर 2019/00255**)

1. रणजीता पुत्र स्व. श्री रामनाथ, जाति जाट, निवासी ग्राम रामपुरा डाबडी, तहसील आमेर जिला जयपुर (मृतक दौराने अपील)
1/1. श्रीमती लक्ष्मी देवी पत्नी स्व. रणजीता
1/2. सांवरमल पुत्र स्व. रणजीता
1/3. राजेन्द्र पुत्र स्व. रणजीता
1/4. संतो । देवी पुत्री स्व. रणजीता
निवासीयान ग्राम रामपुरा डाबडी तहसील आमेर जिला जयपुर ।
2. लल्लू उर्फ लाला पुत्र स्व. श्री रामनाथ, जाति जाट, निवासी ग्राम रामपुरा डाबडी तहसील आमेर, जिला जयपुर (मृतक)
2/1. मन्नी देवी पत्नी स्व. श्री लल्लू उर्फ लाला, जाति जाट, निवासी ग्राम रामपुरा डाबडी, तहसील लाला, जाति जाट, निवासी ग्राम रामपुरा डाबडी, तहसील आमेर जिला जयपुर ।
2/2. श्रवण पुत्र स्व. श्री लल्लू उर्फ लाला, जाति जाट, निवासी ग्राम रामपुरा डाबडी, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
2/3. कालू पुत्र स्व. श्री लल्लू उर्फ लाला, जाति जाट, निवासी ग्राम रामपुरा डाबडी, तहसील आमेर जिला जयपुर।
2/4. महेश पुंत्र स्व. लल्लू उर्फ लाला जाति जाट, निवासी ग्राम रामपुरा डाबडी, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
3. बाबू लाल पुत्र स्व. श्री रामनाथ जाति जाट, निवासी ग्राम रामपुरा डाबडी, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
4. बरदा उर्फ फूलचन्द पुत्र स्व. श्री रामनाथ, जाति निवासी ग्राम रामपुरा डाबडी, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

– अपीलान्टस

बनाम

1. श्रीमती केसरी पत्नी स्व. श्री राम सहाय, जाति हरियाणा ब्राहमण, निवासी आकेडा चौड, तहसील आमेर जिला जयपुर।
2. गोपाल पुत्र स्व. श्री रामसहाय, जाति हरियाणा ब्राहमण, निवासी आकेडा चौड, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

–रेस्पोडेन्टस

3. प्रबन्धक जयपुर जिला सहकारी भूमि विकास बैंक जयपुर शाखा चौंमू, तहसील चौमूं जिला जयपुर ।
4. प्रबन्धक एस.बी.आई. शाखा चौमूं तहसील चौमूं जिला जयपुर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर जिला जयपुर।

– प्रफोर्मा रेस्पोडेन्टस

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76, भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर निर्णय दिनांक 29.11.2019 द्वारा अपील संख्या 210/2018 उनवानी श्रीमती केसरी व अन्य रणजीता व अन्य में पारित करते हुए अपील स्वीकार की गई एवं सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी आमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.08.1990 नामान्तकरण संख्या–29 मिसल संख्या 387/89 वाके ग्राम आकेडा चौड बाबत नामान्तकरण निरस्त किया गया।

उपस्थित–

1. श्री रमेश चौधरी, वकील अपीलान्ट व श्री फूलचन्द जांगिड
2. श्री घीसालाल कुमावत, वकील रेस्पोडेन्ट नं. 1 की ओर से।
3. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, रेस्पोडेन्ट नं. 5 की ओर से।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अपील संख्या 348/2019 (जीसीएमएस नम्बर 2019/00254)

1. रणजीता पुत्र स्व. श्री रामनाथ, जाति जाट, निवासी ग्राम रामपुरा डाबडी, तहसील आमेर जिला जयपुर (मृतक दौराने अपील)
   1/1. श्रीमती लक्ष्मी देवी पत्नी स्व. रणजीता
   1/2. सांवरमल पुत्र स्व. रणजीता
   1/3. राजेन्द्र पुत्र स्व. रणजीता
   1/4. संतोष देवी पुत्री स्व. रणजीता
   निवासीयान ग्राम रामपुरा डाबडी तहसील आमेर जिला जयपुर ।
2. लल्लू उर्फ लाला पुत्र स्व. श्री रामनाथ, जाति जाट, निवासी ग्राम रामपुरा डाबडी तहसील आमेर, जिला जयपुर (मृतक)
   2/1. मन्नी देवी पत्नी स्व. श्री लल्लू उर्फ लाला, जाति जाट, निवासी ग्राम रामपुरा डाबडी, तहसील लाला, जाति जाट, निवासी ग्राम रामपुरा डाबडी, तहसील आमेर जिला जयपुर ।
   2/2. श्रवण पुत्र स्व. श्री लल्लू उर्फ लाला, जाति जाट, निवासी ग्राम रामपुरा डाबडी, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
   2/3. कालू पुत्र स्व. श्री लल्लू उर्फ लाला, जाति जाट, निवासी ग्राम रामपुरा डाबडी, तहसील आमेर जिला जयपुर।
   2/4. महेश पुत्र स्व. लल्लू उर्फ लाला जाति जाट, निवासी ग्राम रामपुरा डाबडी, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
3. बाबू लाल पुत्र स्व. श्री रामनाथ जाति जाट, निवासी ग्राम रामपुरा डाबडी, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
4. बरदा उर्फ फूलचन्द पुत्र स्व. श्री रामनाथ, जाति निवासी ग्राम रामपुरा डाबडी, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

– अपीलान्टस

बनाम

1. श्रीमती केसरी पत्नी स्व. श्री राम सहाय, जाति हरियाणा ब्राहमण, निवासी आकेडा चौड, तहसील आमेर जिला जयपुर।
2. गेपाल पुत्र स्व. श्री रामसहाय, जाति हरियाणा ब्राहमण, निवासी आकेडा चौड, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

–रेस्पोडेन्टस

3. प्रबन्धक जयपुर जिला सहकारी भूमि विकास बैंक जयपुर ाखा चौंमू, तहसील चौमूं जिला जयपुर ।
4. प्रबन्धक एस.बी.आई. शाखा चौमूं तहसील चौमूं जिला जयपुर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर जिला जयपुर।

– प्रफोर्मा रेस्पोडेन्टस

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76, भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर निर्णय दिनांक 29.11.2019 द्वारा अपील संख्या 209/2018 उनवानी श्रीमती केसरी व अन्य रणजीता व अन्य में पारित करते हुए अपील स्वीकार की गई एवं सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी आमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.10.1989 मिसल संख्या 387/89 वाके ग्राम आकेडा चौड बाबत नामान्तकरण निरस्त किया गया।

उपस्थित–

1. श्री रमेश चौधरी, वकील अपीलान्ट व श्री फूलचन्द जांगिड
2. श्री घीसालाल कुमावत, वकील रेस्पोडेन्ट नं. 1 व 2 की ओर से।
3. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, रेस्पोडेन्ट नं. 5 की ओर से।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय दिनांक –07.02.2024

1. यह दोनों अपीलें राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर के निर्णय दिनांक 29.11.2019 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है। दोनों प्रकरणों के तथ्य, विषयवस्तु, पक्षकार एवं निर्णय किये जाने वाले बिन्दु समान होने के कारण इन दोनों प्रकरणों का निर्णय एक ही आदेश के द्वारा किया जा रहा है ।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि अपीलाधीन हाल ख.नं. 159, 160, 161, 162, 486 स्थित ग्राम आकेडा चौड, तहसील आमेर गत ख.नं. 80 व 215 से बने है है जिसके संबंध में न्यायालय उपखण्ड अधिकरी आमेर के समक्ष रामप्यारी बेवा नाथूलाल वगै0 ने साबिक ख.नं. 66, 80, 89, 225, 202, 359, 32/376 कुल रकबा 19 बीघा 8 बिस्वा व न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर में उनवानी वाद नाथूलाल बनाम रमश्या आराजी साबिक ख.नं. 94, 102, 104, 155, 153, 215, 233, 237, 238, 279, 282, 284, 299, 350, 354, 357 कुल रकबा 31 बीघा 3 बिस्वा थे जिनमें माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर के मुकदमा नं0 140/1970 में जरिये राजीनामा अपील डिक्री दिनांक 05.02.1975 जारी की गई थी, जिसमें रेस्पोडेन्ट केसरी व उसके लडके गोपाल के हक में साबिक ख.नं. 94, 80, 89, 104, 282, 302, 284, 279, 238, 215 कुल किता 10 जरिये अपील डिक्री हक में दिये गये थे जिसकी अनुपालना में नामान्तरकरण सं0 126 के द्वारा अपीलान्ट के नाम से साबिक ख0नं0 94, 80, 89, 104, 282, 302, 284, 279, 238, 215 का राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किया गया जो दौराने भू–प्रबन्ध जमाबन्दी में दर्ज था। सहायक भू अधिकारी के आदेश दिनांक 11.10.1989 एवं आदेश की पालना में खोले गये नामान्तरकरण संख्या 29 दिनांक 17.08.1990 के द्वारा हाल अपीलान्ट नं 1 से 4 की माता के नाम तस्दीक की गई। जिससे व्यथित होकर केसरी पत्नी स्व0 श्री रामसहाय के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ), जयपुर के अपील की गयी। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ), जयपुर के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.11.2019 द्वारा अपील स्वीकार की जाकर अपीलान्ट्स की अपील स्वीकार की जाकर भू–प्रबन्ध अधिकारी द्वारा पारित निर्णय एक पक्षीय/विधि अनुरूप नहीं होने के कारण निरस्त किया गया एवं भू–प्रबन्ध अधिकारी के निर्णय दिनांक 11.10.1989 की पालना में सहायक भू–प्रबंध अधिकारी, आमेर द्वारा दिनांक 17.08.1990 को तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 29 वाके ग्राम आकेडा चौड खारिज करने के आदेश पारित किये गये।

3. न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ), जयपुर जयपुर के निर्णय दिनांक 29.11.2019 के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट रणजीता पुत्र स्व. श्री रामनाथ द्वारा यह अपील मंजूर कर अपीलाधीन आदेश न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ), जयपुर के निर्णय दिनांक 29.11.2019 निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस में मुख्य रूप से कथन किया कि प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 द्वारा न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर चतुर्थ जयपुर के समक्ष दिनांक 11.10.1989 को अपीलार्थीगण के हक में सहायक भू प्रबन्धक अधिकारी आमेर द्वारा विवादित आराजी के संबंध में नामान्तरकरण किये जाने के आदेश दिये गये को चुनौती देते हुए अपील प्रस्तुत की गई, जो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जरिये निर्णय दिनांक 29.11.2019 को स्वीकार करते हुए उपरोक्त नामान्तकरण आदेश निरस्त फरमा दिया गया। प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 द्वारा अपीलार्थीगण के हक में पारित आदेश दिनांक 11.10.1989 की अपील दिनांक 17.10.2012 को प्रस्तुत की गई थी, जबकि अपील प्रस्तुत करने की अवधि 30 दिवस है एवं अपील 23 वर्ष के लगभग

माननीय आयुक्त
जयपुर

अवधि बाधित होते हुए भी अधिनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा अपील स्वीकार कानूनन गलती की है। अपीलार्थीगण द्वारा अपने उज्रात में स्पष्ट रूप से मियाद के बिन्दु को उठाते हुए कथन किया गया कि प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 द्वारा अधिनस्थ अपीलय न्यायालय के समक्ष अपील 23 वर्षो के उपरान्त प्रस्तुत की गई है एवं देरी का कोई युक्ति कारण नहीं दिया गया है, फिर भी अधिनस्थ माननीय न्यायालय द्वारा अवधि को बिन्दु को नजर अन्दाज करते हुए आक्षेपित निर्णय पारित किया गया है। विवादित आराजीयात से संबंधित अन्य प्रकरण न्यायालय एस.डी.ओ. आमेर जयपुर में इन्द्राज दुरूस्ती बाबत विचाराधीन था जिसका नम्बर 25/2005 उनवानी रणजीता बनाम मुसम्मात केसरी वगैरा था। जिसमें निर्णय दिनांक 04.01.2011 विवादित सम्पत्ति के सेटलमेन्ट में प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 को आराजी खसरा नम्बर 486 रकबा 0.54 हैक्टेयर दी गई, जिसके खिलाफ प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के द्वारा कोई अपील नहीं की गई एवं इस प्रकार उपरोक्त निर्णय को नजर अन्दाज करते हुए अधिनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय पारित किया गया है। वर्श 2011 में अपीलार्थीगण/प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के मध्य प्रकरण विचाराधीन थे उसमें भी आदेश दिनांक 11.10.1989 का तथ्य प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के ज्ञान में था, लेकिन उसके उपरान्त भी बिना किसी न्यायोचित आधार के उपरोक्त उनवानी अपील प्रस्तुत की गई। अपीलार्थीगण द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनाप पत्र अन्तर्गत धारा 5 अवधि अधिनियम का जवाब प्रस्तुत करते हुए स्प ट रूप से निम्न प्रकार उल्लेख किया गया " पूर्व में अपीलार्थीगण के पति व पिता समसा उर्फ राम सहाय एवं अप्रार्थीगण के खिलाफ मुसम्मात रामप्यारी बेवा नाथू लाल एवं नाथूलाल के पुत्रों द्वारा एक वाद संख्या 14/64 न्यायालय सब डिवीजनल ऑफिसर, आमेर के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था, जिसमें उपरोक्त वाद में वादीगण द्वारा विवादित खसरा नम्बर 159, 160, 161, 162, 486 जिसके साबिक खसरा नम्बर 80 एवं 215 है व अन्य कृषि भूमि के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत किया गया था जो दिनांक 17.03.1970 को खारिज किया गया, जिसमें खसरा नम्बर 80 पर अप्रार्थीगण के पूर्वज रामनाथ का कब्जा काश्त पाया एवं उपरोक्त वाद जरिये निर्णय दिनांक 17.03.1970 निरस्त फरमाया गया। जिस समय से ही अपीलार्थीगण को खसरा नम्बर 80 के सम्बन्ध में अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त होना एवं उसके खातेदारी होने के तथ्य का इल्म था। तत्पश्चात उपरोक्त फैसला व डिक्री दिनांक 17.03.1970 के खिलाफ वादीगण द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। जिसमें प्रार्थीगण के पिता एवं पति को पक्षकार बनाया गया था, जिसमें पक्षकारों द्वारा आपस में राजीनामा किया गया एवं उपरोक्त अपील का फैसला दिनांक 12.08.1974 को राजीनामे के आधार पर हुआ, जिसमें खसरा नम्बर 80 रकबा 5 बीघा 19 बिस्वा अप्रार्थीगण के हिस्से में आया एवं तब से ही उपरोक्त कृषि भूमि पर अप्रार्थीगण का लगातार कब्जा है एवं उपरोक्त निर्णय का इल्म प्रार्थीगण को रहा है। तत्पश्चात उपरोक्त कृषि भूमि के वर्ष 1985–86 के दौरान सैटलमेन्ट ऑपरेशन राज्य सरकार द्वारा किया गया, जिसमें उपरोक्त कृषि भूमि के पर्चे सैटलमेन्ट अप्रार्थीगण के नाम आये, जिस पर भी प्रार्थीगण द्वारा कोई उज्र नहीं किया गया एवं नये खसरा नम्बर में अप्रार्थीगण का नाम वर्ष 1989 से लगातार चला आ रहा है एवं उपरोक्त इन्द्रजा उपरोक्त डिक्री के आधार पर हुआ है, जिसका पूर्ण ज्ञान प्रार्थीगण को था एवं दिनांक 03.10.2012 को ज्ञान होने का तथ्य बिना किसी आधार के मनगढन्त रूप मे उल्लेख किया गया है, इस कारण प्रार्थीगण द्वारा सही तथ्यों को छिपाकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है एवं सही तथ्य माननीय न्यायालय के समक्ष लेकर नहीं आये हैं।"लेकिन उपरोक्त तथ्यों पर अधिनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा गौर नहीं करते हुये एवं बिना किसी विवेचना के आक्षेपित निर्णय पारित किया गया है। अधिनस्थ माननीय न्यायालय द्वारा राजस्व मण्डल द्वारा पारित डिक्री दिनांक 05.02.1975 की अनुपालना में विवादित खसरा नम्बर के संबंध में नामान्तकरण को प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 का हक मानते हुए नामान्तकरण आदेश दिनांक 11.10.1989 को अपास्त किये जाने का निर्णय पारित किया गया है, जबकि किसी भी निर्णय व डिक्री की क्रियान्वन की अवधी 12 वर्ष होती है, एवं आक्षेपित नामान्तकरण आदेश दिनांक 11.10.1989 को पारित किया गया था, लेकिन

समागीय आयुक्त
जयपुर

अपीलार्थीगण द्वारा उपरोक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 05.02.1975 की अनुपालना हेतु 12 वर्षो की अवधि में कोई इजरा प्रस्तुत नहीं की गई इस कारण उपरोक्त अपील अवधि बाधित ही नहीं बल्कि पूर्व में पारित डिक्री दिनांक 05.02.1975 के रोशनी में रेस्जूडीकेटा की श्रेणी में आती है के उन्हीं तथ्यों के संबंध में पुनः कोई बात न्यायालय में नहीं चल सकता। इस कारण उपरोक्त आक्षेपित निर्णय दिनांक 29.11.2019 विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश दिनांक 29.11.2019 पारित करने में कानूनी भूल की है। अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर को निरस्त किया जावे।

6. वकील रेस्पोडेन्ट ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलान्टस की खातेदारी में से साबिक ख.नं. 80 के हाल ख.नं. 159, 160, 161, 162 व साबिक ख0नं0 215 के हाल ख0नं0 486 को दौराने भू–प्रबन्ध कार्यवाही के सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी, आमेर द्वारा मिसल नं0 387/1989 आदेश दिनांक 11.10.1989 के द्वारा सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी से विधि–विरूद्ध अपीलान्ट संख्या 1 लगायत 4 ने अपनी माता के नाम से गलत आदेश जारी करवा लिये। वादग्रस्त भूमि ग्राम आकेडा चौड, तहसील आमेर के हाल ख0नं0 159, 160, 161, 162 गत ख0नं0 80 से व ख0नं0 215 से बने है जिसके संबंध में माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल, अजमेर के मुकदमा नं0 140/1970 में जरिये राजीनामा अपील डिक्री दिनांक 05.02.1975 जारी की गई थी। जिसमें अपीलान्ट केसरी व उसके लडके गोपाल के हक में साबिक ख0नं0 94ख 80, 89, 104, 282, 302, 284, 279, 238, 215 कुल किता 10 जरिये अपील डिक्री हक में दिये गये जिसकी अनुपालना में नामान्तरकरण संख 126 व 127 दिनांक 21.09.1977 को तस्दीक किये गये थे। नामान्तरकरण संख्या 126 के द्वारा अपीलान्ट के नाम से साबिक ख0नं. 94, 80, 89, 104, 282, 302, 284, 279 238, 215 का राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किया था जो दौराने भू–प्रबन्ध जमाबंदी में दर्ज था। अपीलान्ट्स की खातेदारी भूमि के ख0नं0 80 के हाल ख0नं0 159, 160, 161, 162 व साबिक ख0नं0 215 के हाल ख. नं. 486 को दौराने भू–प्रबन्ध कार्यवाही के सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी, आमेर द्वारा मिसल नं. 387/1989 में आदेश दिनांक 11.10.1989 के द्वारा रेस्पोडेन्ट सं0 1 लगा0 4 के पक्ष मे निर्णय पारित किया गया। जिसका ज्ञान अपीलान्ट्स को विधवा, अनपढ व ग्रामीण परिवेश की व्यक्ति होने के कारण पता नहीं चल सका। अपीलान्ट्स द्वारा लोन लेने के लिये जमाबंदी लेने के लिए हल्का पटवारी से सम्पर्क करने पर सर्वप्रथम दिनांक 03.10.2012 को उन्हें यह ज्ञात हुआ कि साबिक ख0नं0 80 के हाल ख0नं0 159, 160, 161, 162 उनके नाम नहीं है यह भूमि राजस्व रिकार्ड में अपीलान्ट्स 1 लगा. 4 के नाम दर्ज है। अपीलान्ट्स सं. 1 लगायत 4 के नाम दर्ज है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगा. 4 से जानकारी करने पर उनके द्वारा यह कहा गया कि सेटलमेंट के समय ही यह वादग्रस्त भूमि हमने अपने नाम करवा ली है। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर ने जो निर्णय पारित किया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे ।

7. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। जिससे जाहिर होता है कि रामप्यारी बेवा नाथूलाल वगैरह द्वारा अपीलार्थीगण व रेस्पोडेन्ट के पूर्वज रमश्या के विरूद्ध एक मु. सं. 14/1964 दावा इस्तकरार हकहुक्म इम्तनाई तथा दखलयाबी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर के समक्ष पेश किया गया था जिसके निर्णय दिनांक 17.03.1970 की तनकीयात संख्या 6 में न्यायालय ने आराजी खसरा नम्बर 80 पर सम्वत् 2015 में केवल अपीलार्थीगण के पूर्वज रामनाथ का नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित होना एवं कब्जा काश्त माना है और रामप्यारी का दावा खारिज किया गया है। उक्त आदेश दिनांक 17.03.1970 के विरूद्ध मु0 रामप्यारी द्वारा एक अपील न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के समक्ष करने पर पक्षकारान द्वारा उक्त अपील में द्वारा राजीनामा प्रस्तुत किया गया है उक्त राजीनामे के पैरा संख्या 5 में

संभागीय आयुक्त
जयपुर

आराजी खसरा नम्बर 80 रकबा 5 बीघा 19 बिस्वा रामनाथ के वारिसान के कब्जे में रहेंगा स्वीकार किया है जिस पर स्वयं रेस्पोडेन्ट केसर की अंगूठा निशानी अंकित है और न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जयपुर द्वारा उक्त राजीनामे के आधार पर ही अपील को निस्तारण किया गया है। ऐसी स्थिति में जब स्वयं केसर द्वारा ही राजस्व अपील अधिकारी के समक्ष राजीनामा पेश किया जा चुका है तो भूमि विवादग्रस्त के सम्बन्ध में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 केसर को राजस्व मण्डल में पुनः राजीनामा पेश करने का कानूनन अधिकार प्रदत्त नही था क्योंकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 पूर्व में किये गये अपने राजीनामें से पूर्णतया कानूनन पाबन्द थी। ऐसे में पश्चात्वर्ती राजीनामा कानून की दृष्टि से गौण हो जाता है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.11.2019 पारित किया गया है जो विधि सम्मत प्रतीत नही होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की दोनों अपीलें स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर द्वारा अपील संख्या 209/2018 एवं 210/2018 उनवान श्रीमती केसरी बनाम रणजीता में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.11.2019 खारिज किया जाता है तथा सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी आमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.10.1989 एवं उसकी पालना में सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी आमेर द्वारा दिनांक 17.08.1990 को तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 29 वाके ग्राम आकेड़ा चौड को बहाल किया जाता है।

(डॉ. आरूषी मलिक)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय दिनांक 07.02.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. आरूषी मलिक)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर